रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-102/2021/1110/22-2-2021-17(221)2013

लखनऊ: दिनांक: 17 जून, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवदयाल शर्मा (बन्दी संख्या-376/2018) पुत्र श्री विभूति शर्मा, निवासी-खैरटिया, थाना-गौरी बाजार, जनपद-देवरिया हाल पता-मालवीय नगर, थाना-बाजार खाला, जनपद-लखनऊ, जिन्हे सत्र परीक्षण संख्या-840/1997 भा0द0सं0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट), लखनऊ के आदेश दिनांक 22.10.2001 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, सलाहकार सिमति ने बन्दी द्वारा 22 वर्ष 02 माह 09 दिन अपरिहार तथा 25 वर्ष 03 माह, 00 दिन सपरिहार काटी गयी अत्यधिक सजावधि, पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समयपूर्व रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं किये जाने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-102/2021/1110(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
3- पुलिस अधीक्षक, देवरिया ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in